उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

मूसरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, पिन : 248008

दूरभाष : 0135–2669415, फैक्स : 2669384

Email : crc.ddn99@gmail.com, boardofrevenue-uk@gov.in

संख्या– 2419 /रा0प0/1–22/2021–22 दिनांक : 10 सितम्बर, 2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून को राजकीय कार्य हेतु किराये के 02 डीजल वाहनों (INNOVA CRYSTA & SWIFT DZIRE/ HONDA AMAZE) की आवश्यकता है, जिसके लिये विभाग द्वारा शर्तो पर शील्ड निविदायें आमंत्रित की जाती है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से निविदायें प्रत्येक दशा में दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को अपरान्ह् 5.00 बजे तक कार्यालय में पजीकृत डाक/दस्ती के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी। तकनीकी/वित्तीय निविदा दिनांक 20 सितम्बर, 2021 को 11.30 पूर्वान्ह् में निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। उक्त निविदा प्रपत्र राजस्व परिषद् की वेवसाईट https://revenue.uk.gov.in पर अथवा किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 18 सितम्बर, 2021 तक राजस्व परिषद् कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा की नियम व शर्तें निविदा पत्र में उल्लिखित हैं।

(चन्द्रेश कुमार)

आयुक्त एवं सचिव

06.09.21

उत्तराखण्ड सरकार

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

मूसरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, पिन : 248008

दूरभाष : 0135–2669415, फैक्स : 2669384

Email : crc.ddn99@gmail.com, boardofrevenue-uk@gov.in

विभागीय नियम / शर्ते

1– निविदा शुल्क / धरोहर धनराशि (EMD) / प्रतिभूति धनराशि (PBG) / निविदा तिथियों का विवरण–

- निविदा पत्र का शुल्क– ₹ 400=18% GST
- धरोहर धनराशि (EMD)- ₹ 5,000.00
- प्रतिभूति धनराशि (PBG)- ₹ 20,000.00
- निविदा जारी करने की तिथि–
- निविदा पत्र कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि व समय–18 सितम्बर, 2021 समय अपराहन 05:00 बजे
- तकनीकी / वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि व समय– 20 सितम्बर, 2021 पूर्वाहन 11:30 बजे

2– INNOVA CRYSTA & SWIFT DZIRE/ HONDA AMAZE डीजल वाहन का निर्माण / मॉडल वर्ष 2019 के पूर्व का न हो एवं कोटेशन के साथ रजिस्ट्रेशन परमिट एवं बीमा की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

3– वाहन का अनुबन्ध एक वर्ष अथवा कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा भी किया जा सकता है।

4– वाहन चालक के पास पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र हेतु वैध ड्राईविंग लाईसेन्स भी होना चाहिए, उसे विभागीय लॉग बुक भरने का ज्ञान होना चाहिए।

5– वाहन का पंजीकरण टैक्सी परमिट में उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली राज्यों के लिए मान्य हो।

6– अन्य जनपदों में वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में चालक को अपने खाने / रहने की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

7– वाहन मय चालक कार्यालय अवधि / राजकीय कार्यो की आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध रहेगा।

M

8— वाहन का अनुरक्षण विभागीय मानको के अनुसार होना चाहिए। सर्विसिंग एवं अन्य लुब्रीकेन्ट तथा मरम्मत आदि की व्यवस्था वाहन स्वामी की होगी।

9— घर एवं कार्यालय मे टेलीफोन/मोबाईल फोन की सुविधा रखने वाली फर्म ही आवेदन करें। जिन फर्मों का देहरादून नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कार्यालय हो मात्र वही फर्में निविदा में प्रतिभाग कर सकती हैं।

10— सर्विसिंग आदि हेतु वाहन के अनुपस्थित होने की दशा में उस दिन का किराया अनुमन्य नहीं होगा अथवा वाहन की मरम्मत, दुर्घटना, सर्विसिंग आदि की स्थिति में दूसरा वाहन मय चालक विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

11— वाहन एवं चालक से सम्बन्धित सभी आवश्यक अभिलेख सदैव वाहन के साथ होने चाहिए। चालक को कम से कम तीन वर्ष का पहाड़ी मार्गों पर वाहन चलाने का अनुभव हो तथा कोविड–19 माहमारी के दृष्टिगत वाहन चालक की स्वछता व सुरक्षा के मानकों का अनुपालन आपूर्तिकर्ता के द्वारा किया जायेगा।

12— फर्म को अनुबन्धित वाहनों के किराये का भुगतान माह व्यतीत होने के उपरान्त अथवा धनावंटन की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

13— फर्म की वित्तीय स्थिति इतनी सुदृढ़ होनी चाहिये कि विशेष परिस्थितियों में वाहन के किराये का भुगतान बजट/धनांवटन उपलब्ध होने तक स्वयं के संसाधनों से वाहन की उपलब्धता कार्यालय को सुनिश्चित करा सके।

14— वाहन के किसी दुर्घटना व चोरी आदि की स्थिति में विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

15— सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

16— प्राप्त निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून का होगा।

17— वाहन किराये के देयक से निर्धारित दरों पर टी0डी0एस0 एवं जी0एस0टी0 कटौती की जायेगी।

18— निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि (EMD) ₹ 5,000–00 (रूपये पांच हजार मात्र) जो कि वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के नाम से देहरादून में देय/बंधक हो को एफ0डी0आर0 अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। धरोहर धनराशि संलग्न/प्रस्तुत न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने उपरान्त शीघ्र वापस की जायेगी। सफल निविदादाता की धरोहर धनराशि अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा प्रतिभूति धनराशि (Performance Bank Guarantee) कार्यालय में प्रस्तुत करने उपरान्त ही वापस की जायेगी।

19— सफल निविदादाता को कार्यालय स्तर से निविदा में सफल होने के आशय पत्र (Letter of intent)/कार्यादेश के क्रम में ₹ 20,000—00 (रूपये बीस हजार मात्र) की प्रतिभूति धनराशि (Performance Bank Guarantee) जो कि बैंक गारण्टी अथवा एफ0डी0आर0 के रूप में वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद् के नाम से बंधक होगी 03 दिन अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि (Performance Bank Guarantee) की अवधि 01 वर्ष की होगी।

20— एक निविदादाता एक ही निविदा जमा कर सकेगा, जो निविदायें मोहरबंद लिफाफे में नही होगी वे स्वीकार नहीं की जायेगी।

21— निविदा पंजीकृत डाक अथवा निविदादाता द्वारा स्वयं राजस्व परिषद् कार्यालय में दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को अपरान्ह् 5.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत/जमा करनी होंगी।

22— संलग्न निविदा फार्म—अ (तकनीकी बिड) के अनुसार विवरण व फार्म—ब (वित्तीय बिड) में दरे निविदादाता को देनी होगी अन्यथा टेण्डर निरस्त माना जायेगा।

23— वाहन का प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र देना होगा।

24— फर्म/निविदादाता किसी भी राजकीय विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड न हो के संबंध में ₹ 100.00 के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

25— फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई0पी0एफ0) में पंजीकरण होना चाहिये।

26— निविदा शुल्क रूपया 400—00 (चार सौ मात्र) + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

27— तकनीकी निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि/समय पर निविदादाता अथवा उनके 01 प्रतिनिधि की उपस्थिति अनुमन्य होगी। अनुपस्थिति की दशा में यह समझा जायेगा कि निविदादाता को तकनीकी निविदा खोले जाने की कार्यवाही स्वीकार्य है। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं को वित्तीय निविदा खोले जाने की कार्यवाही में तद्नुसार उपस्थिति अनुमन्य होगी।

28— फर्म/निविदादाता द्वारा गत 03 वित्तीय वर्षों के आयकर कटौती/जी0एस0टी0 विवरण की स्वप्रमाणित प्रति निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

29— तकनीकी निविदा पत्र में संलग्न दस्तावेजों को फर्म/निविदादाता द्वारा स्वप्रमाणित किया जाना आवश्यक है। निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों/दस्तावेजों की प्रमाणिकता फर्जी पाये जाने पर निविदा/अनुबन्ध को तत्काल समाप्त कर लिया जायेगा तथा तद्नुसार

सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/निविदादाता का होगा।

30– निविदादाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदाओं को अलग–अलग सीलबंद लिफाफों में एक A4 साईज के लिफाफे के अन्दर सीलबंद रूप में जमा/प्रस्तुत करनी होगी जिस पर निम्नानुसार कार्यालय का पता दर्शित होगा :–

"निविदा संख्या–2419/रा0प0–वा0नि0/2020–21 दिनांक 10 सितम्बर, 2021"

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर,
देहरादून।

(चन्द्रेश कुमार)
आयुक्त एवं सचिव

राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।

फार्म–अ
(तकनीकी निविदा)

1– फर्म का नाम :

2– पता :

3– दूरभाष संख्या :

4– प्रोपराईटर/साझेदारों का नाम :

5– जी0एस0टी0 नम्बर :

(पंजीकरण की प्रतियॉ सलग्न करना अनिवार्य है) :

6– पैन (PAN) नम्बर :

7– विगत वर्ष की आयकर कटौती का विवरण :

8– धरोहर धनराशि का विवरण :–

(1) डी0डी0 नम्बर :

(2) दिनांक :

(3) बैंक का नाम :

(4) बैंक की शाखा :

9– अन्य कोई विवरण :

10– अल्प कालीन निविदा सूचना में दी गई विभागीय शर्तों को मैने भली–भांति पढ़ लिया है तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ।

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

संलग्नकों की सूचीः–

1. फर्म / एजेन्सी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2. वाहन की आर0सी0 का प्रमाण पत्र।
3. फर्म / एजेन्सी / प्रोपराईटर / साझेदार / वाहन स्वामी का पैन(PAN) नम्बर प्रमाण पत्र।
4. GST पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. फिटनेस प्रमाण पत्र।
6. वाहन बीमा प्रमाण पत्र।
7. वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति।
8. वाहन का परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
9. वाहन का उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली का परमिट की प्रति।
10. राजकीय कार्यालयों में कार्य करने का विगत 03 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र।
11. आयकर रिर्टन गत 03 वर्ष (वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं वर्ष 2020–21)
12. एजेन्सी किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
13. फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई0पी0एफ0) में पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

फार्म –ब

(वित्तीय निविदा)

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कमांक	वाहन का नाम	मासिक किराया प्रतिमाह (डीजल वाहन)	वाहन का ईंधन औसत	रात्रि विश्राम शुल्क प्रति रात्रि
1	INNOVA CRYSTA			
2	SWIFT DZIRE/ HONDA AMAZE			
3	GST %			

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)